रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 1998/ज्येष्ठ 13, 1920
No. 120] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 1998/JYAISTHA 13, 1920

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 1998

विषय : निर्वाचन और अन्य संबंधित मामलों में राज्य-वित्तपोषण विषयक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन

सं. 7/8/98-वि. II.—गृहमंत्री की अध्यक्षता में 22 मई, 1998 को हुई विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं की बैठक में लिए गए विनिश्चय के अनुसरण में मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को राज्य-वित्तपोषण और अन्य संबंधित विषयों का उपबन्ध करने की बाबत ठोस प्रस्तावों का सुझाव देने के लिए एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1.	श्री इन्द्रजीत गुप्त संसद् सदस्य	अध्यक्ष
2.	श्री सोमनाथ चटर्जी संसद् सदस्य	सदस्य
3.	डा. मनमोहन सिंह संसद् सदस्य	सदस्य
4.	श्री वी. के. मल्होत्रा संसद् सदस्य	सदस्य
5.	श्री मधुकर सरपोतदार संसद् सदस्य	सदस्य
6.	श्री आर. मुथैया संसद् सदस्य	सदस्य
7.	श्री दिग्विजय सिंह संसद् सदस्य	सदस्य

2. समिति :—

(क) अन्य देशों में राज्य-वित्तपोषण के पेटर्न की परीक्षा करेगी जहां यह प्रचलित है और मानयताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों को राज्य-वित्तपोषण का उपबन्ध करने के लिए ठोस प्रस्तावों का सुझाव देगी,

(ख) निम्नलिखित संबंधित प्रस्तावों की बाबत विस्तार से समीक्षा करेगी और समुचित सिफारिश करेगी :

(i) राजनैतिक दलों द्वारा लेखा रखे जाने और उसकी लेखा-परीक्षा;

(ii) राजनैतिक दलों को कम्पनियों द्वारा दान देने पर रोक ;

(iii) निर्वाचन व्ययों पर अधिकतम सीमा लगाए जाने के प्रयोजनों के लिए राजनैतिक दलों के निर्वाचन व्ययों को अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों में सम्मिलित करना ; और

(iv) प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व निर्वाचन व्ययों की बाबत अधिकतम सीमा नियत करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को सशक्त करना।

3. समिति अगस्त, 1998 के अन्त तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

4. समिति को सचिवीय सहायता देने के लिए विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय का विधायी विभाग उपबन्ध करेगा और वह मंत्रालय समिति के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए एक समुचित अधिकारी नियुक्त करेगा।

5. समिति, यदि आवश्यक समझती है तो संबंधित विषयों पर परामर्श करके उनके दृष्टिकोण से फायदा लेने हेतु विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञों और विख्यात व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगी।

6. समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए समिति के सदस्यों को सरकार द्वारा उनको यथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते का संदाय किया जाएगा।

7. इसमें अन्तर्वलित होने वाले व्यय को, विधायी विभाग के बजट अनुदान से, शीर्ष 2052–सचिवालयों साधारण सेवा (प्रमुख शीर्ष)–00.090–सचिवालय (लघु शीर्ष)–07 विधायी विभाग–07.00–11 घरेलू यात्रा व्यय के अधीन पूरा किया जाएगा।

डा. रघबीर सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 1998

Subject :—Constitution of a High Powered Commitee on State funding of elections and allied issues.

F. No. 7(8)/98-Leg.II.—Pursuant to a decision taken at the meeting of the leaders of various political parties held on 22nd May, 1998 under the chairmanship of the Home Minister to constitute a 7-Member Committee to suggest concrete proposals for providing State funding to recognised political parties and other related matters, a Committee comprising of the following Members is hereby constituted :—

1.	Shri Indrajit Gupta Member of Parliament	Chairman
2.	Shri Somnath Chatterjee Member of Parliament	Member
3.	Dr. Manmohan Singh Member of Parliament	Member
4.	Shri V. K. Malhotra Member of Parliament	Member
5.	Shri Madhukar Sarpotdar Member of Parliament	Member
6.	Shri R. Muthiah Member of Parliament	Member
7.	Shri Digvijay Singh Member of Parliament	Member

2. The Committee will :—

(a) examine the pattern of State funding in other countries where it is in vogue and suggest concrete proposals for providing State funding to candidates set up by recognised political parties, and

(b) examine, in detail, the following related proposals and make suitable recommendations :

(i) maintenance of accounts by political parties and audit thereof ;

(ii) ban on donation by companies to political parties ;

(iii) inclusion of expenses of political parties in the election expenses of candidates for the purposes of ceiling on election expenses ; and

(iv) empowering of the Election Commission of India to fix ceiling on election expenses before every general election.

3. The Committee would submit its report to the Government by the end of August, 1998.

4. Secretarial assistance to the Committee would be provided by the Legislative Department of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs and that Ministry would appoint a suitable officer to act as Secretary to the Committee.

5. The Committee may, if necessary, invite experts and persons eminent in specific fields to have the benefit of their views while deliberating upon the related subjects.

6. the Members of the Committee would be paid travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the Committee as admissible to them by the Government.

7. The expenditure involved will be met from the budget grant of the Legislative Department under the Head 2052-Secretarial General Services (Major Head)-00.090-Secretariat (Minor Head)-07-Legislative Department-07.00.11-Domestic Travel Expenses.

DR. RAGHBIR SINGH, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998